मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

म.प्र. गृहनिर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल, म.प्र. लोकनिर्माण विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के
उप यंत्री के सीधी भर्ती–बैकलॉग पदों हेतु चयन परीक्षा – 2011
(केवल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	15.09.2011
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि	05.10.2011
परीक्षा दिनांक व दिन	06 नवम्बर, 2011 (रविवार)
इस परीक्षा हेतु कोई भी परीक्षा शुल्क देय नहीं है, सिर्फ एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/– मात्र देय होगा।	

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
06.11.2011 रविवार	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से दोप. 01:15 बजे तक (03 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।

3. परीक्षा कक्ष में सेलुलर, मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

उप यंत्री के सीधी भर्ती–बैकलॉग पदों हेतु चयन परीक्षा – 2011

(केवल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

विषय सूची

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	अध्याय–1 – म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल में उपयंत्री (सिविल) एवं उपयंत्री(इलेक्ट्रिकल) के पदों हेतु संयुक्त परीक्षा के लिए विभागीय नियम	03–06
2.	अध्याय–2 – लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन में उपयंत्री (सिविल) एवं उपयंत्री(इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के पदों हेतु संयुक्त परीक्षा के लिए विभागीय नियम	07–11
3.	अध्याय–3 – आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन में उपयंत्री (सिविल) के पदों हेतु संयुक्त परीक्षा के लिए विभागीय नियम	12–15
4.	अध्याय–4 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	16–19
5.	प्रारूप–1 – प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	20

अध्याय – 1

म.प्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में रिक्त उप यंत्री (सिविल) एवं उप यंत्री (इलेक्ट्रिकल) के पदों हेतु सीधी भर्ती–बैकलॉग चयन परीक्षा–2011 के लिए विभागीय नियम

1.1 सामान्य :

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के पत्र क्रं. 2167 / का.प्र.2 / मंडल / 2010, दि. 27.09.2010, पत्र क्रं.168, दिनांक 24.01.2011 तथा म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–7 / 68 / 2004 / 32–1, दि. 20 / 12 / 2007 एवं पत्र क्रं. 2814 / 3568 / 2010 / 32–1, दि. 15.09.2010 के अनुसार म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल में रिक्त उपयंत्री(सिविल) एवं उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल) के पदों हेतु चयन परीक्षा–2011 में आवेदन कर रहे समस्त आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे।

1.2 परिभाषाऍ :

''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमे का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

''भर्ती का वर्ष'' से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि ,जिसके भीतरी ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

''भूतपूर्व सैनिको से अभिप्रेत है'' ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैकं '' (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) मे कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और–

(एक) जिसे स्वंय के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है,या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिर्जव में अंतरित किया गया है, या –

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिये करनी पडी हो,

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात स्वंय के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो ।

1.3 <u>उपयंत्री (सिविल) पद से संबंधित विवरण :–</u>

(1) पद का नाम – उपयंत्री (सिविल)
(2) पद का प्रकार – बैकलॉग
(3) वेतनमान – वेतन बैंड-2 : 9300-34800+ ग्रेड–पे 3200

(4) शैक्षणिक योग्यता :–
मध्यप्रदेश शासन के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि।

(5) उपयंत्री (सिविल) पद हेतु विभागवार आरक्षण तालिका :–

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति(SC)	03	01	0	0	0	0	04
2.	अनुसूचित जनजाति(ST)	35	15	03	0	0	0	53
	योग :–	38	16	03	0	0	0	57

1.4 उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल) पद से संबंधित विवरण :–

(1) पद का नाम – उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल)
(2) पद का प्रकार – बैकलॉग
(3) वेतनमान – वेतन बैंड-2 : 9300-34800+ ग्रेड–पे 3200

(4) शैक्षणिक योग्यता :–
मध्यप्रदेश शासन के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि।

(5) उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल) पद हेतु विभागवार आरक्षण तालिका :–

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति(SC)	01	0	0	0	0	0	01
2.	अनुसूचित जनजाति(ST)	03	0	0	0	0	0	03
	योग :–	04	0	0	0	0	0	04

1.5 सामान्य नियम

1.5.1 आयु सीमा / आयु गणना / आयु में छूट :–

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रं. सी–18–15 / 91 / 3 / 1, दिनांक 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2012 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रं.सी–3–5 / 2001 / 3 / 1, दिनांक 17.08.2004 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :–

स.क्रं.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरूष	सामान्य वर्ग	35 वर्ष
2.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति / अनु.जजा / अपिवर्ग)	40 वर्ष
3.	महिला	सामान्य वर्ग	35+10=45 वर्ष
4.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति / अनु.जजा / अपिवर्ग)	35+5+10=50 वर्ष
5.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा)	35+10+5=50 वर्ष
6.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति / अनु.जजा / अपिव) (विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा)	35+5+10+5=55 वर्ष

1.5.2 प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में छूट :—

(अ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी—3—40—आ—84—(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ब) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी—3—10—85—3—1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(स) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी—3—18—85—3—1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

नोट : यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

1.5.3 अनर्हताएँ :—

(1) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरूष 21 एवं महिला 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। (मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 में दिए गए प्रावधान अनुसार)

(2) कोई उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(3) पररूपधारण।

(4) कदाचरण संबंधी दोषी सिद्ध होने पर।

(5) अन्य अनर्हताएँ सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार।

1.5.4 मूल निवासी :—

आवेदक को भारतीय नागरिक व मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी स्थाई मूल निवासी प्रमाण—पत्र नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

1.5.5 जाति प्रमाण—पत्र :—

आरक्षित वर्ग के आवेदक के पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

1.5.6 विकलांगता प्रमाण—पत्र :—

विकलांग आवेदक के पास मेडीकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

1.5.7 भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण—पत्र :—

भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के आवेदक के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

1.5.8 लिखित परीक्षा (पाठ्यक्रम) –

(1) उपयंत्री (सिविल) के पद हेतु :– राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सिविल पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों का एक प्रश्न–पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।

(2) उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल) के पद हेतु :– राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों का एक प्रश्न–पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।

1.5.9 चयन पद्धति – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें बिन्दु क्रं. 1.5.5 में उल्लेखित उपयंत्री (सिविल) तथा उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल) के पाठ्यक्रम के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके पश्चात् भर्ती के लिये विभागवार अंतिम चयन सूची (मैरिट लिस्ट) तथा प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विभागीय विकल्प के अनुसार तैयार कर प्रकाशित की जावेगी।

1.5.10 पारस्परिक वरीयता :–

लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक वरीयता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी अर्थात् आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

1.5.11 नियुक्ति की शर्तें –

1. यह नियुक्ति चरित्र प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जायेगी।
2. पदभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता (हायर सेकेण्डरी) एवं डिप्लोमा/उपयंत्री प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, नियुक्ति किये गये कर्मचारियों को जब तक कार्य ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा, जब तक की उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र यथार्थ प्रमाणित न हो, यदि किसी कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उपयंत्री के पद पर उनका नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावेगा।
3. यह प्रथम नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी। परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ाने हेतु कर्मचारी द्वारा दो वर्ष में की गई सेवा तथा अनुशंसा पर निर्भर होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा बिना किसी कारण बताए एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन भत्ते देकर उनकी सेवाऍ समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार कर्मचारी द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते जमा कर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकता है।
5. जो कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षणा विभाग के ज्ञापन क्रं. 3/3/88/8/49/भोपाल, दिनांक 27.02.1988 के अनुसार नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् उम्मीदवारों द्वारा उसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने संबंधी की गई जानकारी गलत पाई गई तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।
6. इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स 1966 के प्रयोजनार्थ नियुक्तिकर्ता विभाग के प्रशासनिक अधिकारी सक्षम अधिकारी माने जावेंगे।

1.5.12 मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्य सूची अनुसार पात्र आवेदकों के दस्तावेजों का परीक्षण/सत्यापन संबंधित विभागों द्वारा किया जाकर ही नियुक्ति/चयन संबंधी कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी।

1.5.13 यात्रा किराया –

आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों को टिकट प्रस्तुत किये जाने पर राज्य शासन के नियमानुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा उपरांत संबंधित विभागों द्वारा की जावेगी।

अध्याय – 2

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग में रिक्त उप यंत्री (सिविल) एवं उप यंत्री (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के सीधी भर्ती–बैकलॉग पदों हेतु चयन परीक्षा–2011 के लिए विभागीय नियम

2.1 सामान्य :

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रं. 303/067/2008/4196, दिनांक 02.11.2010 तथा लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय का ज्ञाप क्रं. एफ–1–39/09/स्था/19, दिनांक 23.12.2009 के अनुसार लोक निर्माण विभाग में रिक्त उपयंत्री(सिविल), उपयंत्री(इलेक्ट्रिकल) एवं (मैकेनिकल) के पदों हेतु चयन परीक्षा–2011 में आवेदन कर रहे समस्त आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे।

2.2 परिभाषाएँ :

''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति,मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमे का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

''भर्ती का वर्ष'' से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि ,जिसके भीतरी ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

''भूतपूर्व सैनिको से अभिप्रेत है'' ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैकं '' (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) मे कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और–

(एक) जिसे स्वंय के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है,या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिर्जव में अंतरित किया गया है,या –

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिये करनी पडी हो,

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात स्वंय के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो ।

2.3 उपयंत्री (सिविल) पद से संबंधित विवरण :–

(1)	पद का नाम	–	उपयंत्री (सिविल)
(2)	पद का प्रकार	–	बैकलॉग
(3)	वेतनमान	–	वेतन बैंड-2 : 9300-34800+ ग्रेड–पे 3200

(4) शैक्षणिक योग्यता :–
मध्यप्रदेश शासन के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा)/किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि।

(5) उपयंत्री (सिविल) पद हेतु विभागवार आरक्षण तालिका :–

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति(SC)	11	4	1	0	1	1	18
2.	अनुसूचित जनजाति(ST)	92	40	2	0	11	5	150
	योग :–	103	44	3	0	12	6	168

2.4 उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) पद से संबंधित विवरण :–

(1) पद का नाम – उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल)
(2) पद का प्रकार – बैकलॉग
(3) वेतनमान – वेतन बैंड-2 : 9300-34800+ ग्रेड–पे 3200

(4) शैक्षणिक योग्यता :–
मध्यप्रदेश शासन के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा)/किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि।

(5) उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) पद हेतु विभागवार आरक्षण तालिका :–

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति(SC)	12	05	01	0	02	01	21
2.	अनुसूचित जनजाति(ST)	24	11	0	0	03	01	39
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)	01	0	0	0	0	0	01
	योग :–	37	16	01	0	05	02	61

2.5 सामान्य नियम

2.5.1 आयु सीमा/आयु गणना/आयु में छूट :–

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रं. सी–18–15/91/3/1, दिनांक 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2012 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रं.सी–3–5/2001/3/1, दिनांक 17.08.2004 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :–

स.क्रं.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरूष	सामान्य वर्ग	35 वर्ष
2.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	40 वर्ष
3.	महिला	सामान्य वर्ग	35+10=45 वर्ष
4.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	35+5+10=50 वर्ष
5.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+10+5=50 वर्ष
6.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+5+10+5=55 वर्ष

2.5.2 प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में छूट :–

(अ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ब) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्र्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(स) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

नोट : यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

2.5.3 अनर्हताऍं :–

(1) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरूष 21 एवं महिला 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। (मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 में दिए गए प्रावधान अनुसार)

(2) कोई उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(3) पररूपधारण।

(4) कदाचरण संबंधी दोषी सिद्ध होने पर।

(5) अन्य अनर्हताऍं सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार।

2.5.4 मूल निवासी :–

आवेदक को भारतीय नागरिक व मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी स्थाई मूल निवासी प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

2.5.5 जाति प्रमाण–पत्र :–

आरक्षित वर्ग के आवेदक के पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

2.5.6 विकलांगता प्रमाण–पत्र :–

विकलांग आवेदक के पास मेडीकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

2.5.7 भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण–पत्र :–

भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के आवेदक के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

2.5.8 लिखित परीक्षा (पाठ्यक्रम) –

(1) उपयंत्री (सिविल) के पद हेतु :– राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सिविल पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों का एक प्रश्न–पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।

(2) उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के पद हेतु :– राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों का एक प्रश्न–पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।

2.5.9 चयन पद्धति – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें बिन्दु क्रं. 2.5.5 में उल्लेखित उपयंत्री (सिविल) तथा उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के पाठ्यक्रम के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके पश्चात् भर्ती के लिये विभागवार अंतिम चयन सूची (मैरिट लिस्ट) तथा प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विभागीय विकल्प के अनुसार तैयार कर प्रकाशित की जावेगी।

2.5.10 पारस्परिक वरीयता :–

लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक वरीयता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी अर्थात् आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.5.11 नियुक्ति की शर्तें –

1. यह नियुक्ति चरित्र प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जायेगी।

2. पदभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता (हायर सेकेण्डरी) एवं डिप्लोमा/उपयंत्री प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, नियुक्ति किये गये कर्मचारियों को जब तक कार्य ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा, जब तक की उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र यथार्थ प्रमाणित न हो, यदि किसी कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उपयंत्री के पद पर उनका नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावेगा।

3. यह प्रथम नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी। परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ाने हेतु कर्मचारी द्वारा दो वर्ष में की गई सेवा तथा अनुशंसा पर निर्भर होगी।

4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा बिना किसी कारण बताए एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन भत्ते देकर उनकी सेवाऍं समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार कर्मचारी द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते जमा कर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकता है।

5. जे कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षणा विभाग के ज्ञापन क्रं. 3/3/88/8/49/भोपाल, दिनांक 27.02.1988 के अनुसार नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् उम्मीदवारों द्वारा उसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने संबंधी की गई जानकारी गलत पाई गई तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

6. इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स 1966 के प्रयोजनार्थ नियुक्तिकर्ता विभाग के प्रशासनिक अधिकारी सक्षम अधिकारी माने जावेंगे।

2.5.12 मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्य सूची अनुसार पात्र आवेदकों के दस्तावेजों का परीक्षण/सत्यापन संबंधित विभागों द्वारा किया जाकर ही नियुक्ति/चयन संबंधी कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी।

2.5.13 यात्रा किराया –

आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों को टिकट प्रस्तुत किये जाने पर राज्य शासन के नियमानुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा उपरांत संबंधित विभागों द्वारा की जावेगी।

———0———

अध्याय – 3

आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन में रिक्त उप यंत्री (सिविल) के सीधी भर्ती–बैकलॉग पदों हेतु चयन परीक्षा–2011 के लिए विभागीय नियम

3.1 सामान्य :

आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. स्था.2/248/2009–10/18120, दिनांक 27.09.2010 तथा विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–11/2003/3/एक, दिनांक 23.04.2003 के अनुसार कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत रिक्त उपयंत्री(सिविल) के पदों हेतु चयन परीक्षा–2011 में आवेदन कर रहे समस्त आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे।

3.2 परिभाषाएँ :

''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति,मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमे का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनूसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे सविधांन के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ–8–5 पच्चीस–4–84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में ।

''भर्ती का वर्ष'' से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि ,जिसके भीतरी ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

''भूतपूर्व सैनिको से अभिप्रेत है'' ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैकं '' (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) मे कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और–

(एक) जिसे स्वंय के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है,या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिर्जव में अंतरित किया गया है,या –

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिये करनी पडी हो,

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात स्वंय के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो ।

3.3 उपयंत्री (सिविल) पद से संबंधित विवरण :–

(1) पद का नाम – उपयंत्री (सिविल)
(2) पद का प्रकार – बैकलॉग
(3) वेतनमान – वेतन बैंड-2 : 9300-34800+ ग्रेड–पे 3200

(4) शैक्षणिक योग्यता :—
मध्यप्रदेश शासन के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा)/किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि।

(5) उपयंत्री (सिविल) पद हेतु विभागवार आरक्षण तालिका :—

स. क्रं.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति(SC)	02	0	0	0	0	0	02
2.	अनुसूचित जनजाति(ST)	04	02	0	0	0	0	06
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)	03	0	0	0	0	0	03
	योग :—	09	02	0	0	0	0	11

3.4 सामान्य नियम

3.4.1 आयु सीमा/आयु गणना/आयु में छूट :—

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रं. सी—18—15/91/3/1, दिनांक 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2012 को 20 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रं.सी—3—5/2001/3/1, दिनांक 17.08.2004 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :—

स.क्रं.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरूष	सामान्य वर्ग	35 वर्ष
2.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	40 वर्ष
3.	महिला	सामान्य वर्ग	35+10=45 वर्ष
4.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	35+5+10=50 वर्ष
5.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+10+5=50 वर्ष
6.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+5+10+5=55 वर्ष

3.4.2 प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में छूट :—

(अ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी—3—40—आ—84—(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ब) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी—3—10—85—3—1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(स) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी—3—18—85—3—1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

नोट : यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

3.4.3 अनर्हताएँ :—

(1) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरूष 21 एवं महिला 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। (मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 में दिए गए प्रावधान अनुसार)

(2) कोई उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(3) पररूपधारण।

(4) कदाचरण संबंधी दोषी सिद्ध होने पर।

(5) अन्य अनर्हताएँ सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार।

3.4.4 मूल निवासी :—

आवेदक को भारतीय नागरिक व मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी स्थाई मूल निवासी प्रमाण—पत्र नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

3.4.5 जाति प्रमाण—पत्र :—

आरक्षित वर्ग के आवेदक के पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

3.4.6 विकलांगता प्रमाण—पत्र :—

विकलांग आवेदक के पास मेडीकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

3.4.7 भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण—पत्र :—

भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के आवेदक के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

3.4.8 लिखित परीक्षा (पाठ्यक्रम) —

(1) उपयंत्री (सिविल) के पद हेतु :— राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सिविल पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों का एक प्रश्न—पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।

(2) उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल) के पद हेतु :— राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों का एक प्रश्न—पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।

3.4.9 चयन पद्धति — मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें बिन्दु क्रं. 3.5.5 में उल्लेखित उपयंत्री (सिविल) तथा उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल) के पाठ्यक्रम के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके पश्चात् भर्ती के लिये विभागवार अंतिम चयन सूची (मैरिट लिस्ट) तथा प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विभागीय विकल्प के अनुसार तैयार कर प्रकाशित की जावेगी।

3.4.10 पारस्परिक वरीयता :—

लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक वरीयता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी अर्थात् आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

3.4.11 नियुक्ति की शर्तें —

1. यह नियुक्ति चरित्र प्रमाण—पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जायेगी।

2. पदभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता (हायर सेकेण्डरी) एवं डिप्लोमा/उपयंत्री प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, नियुक्ति किये गये कर्मचारियों को जब तक कार्य ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा, जब तक की उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण—पत्र यथार्थ प्रमाणित न हो, यदि किसी कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उपयंत्री के पद पर उनका नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावेगा।

3. यह प्रथम नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी। परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ाने हेतु कर्मचारी द्वारा दो वर्ष में की गई सेवा तथा अनुशंसा पर निर्भर होगी।

4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा बिना किसी कारण बताए एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन भत्ते देकर उनकी सेवाऍ समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार कर्मचारी द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते जमा कर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकता है।

5. जे कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षणा विभाग के ज्ञापन क्रं. 3/3/88/8/49/भोपाल, दिनांक 27.02.1988 के अनुसार नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् उम्मीदवारों द्वारा उसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने संबंधी की गई जानकारी गलत पाई गई तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

6. इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स 1966 के प्रयोजनार्थ नियुक्तिकर्ता विभाग के प्रशासनिक अधिकारी सक्षम अधिकारी माने जावेंगे।

3.4.12 मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्य सूची अनुसार पात्र आवेदकों के दस्तावेजों का परीक्षण/सत्यापन संबंधित विभागों द्वारा किया जाकर ही नियुक्ति/चयन संबंधी कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी।

3.4.13 यात्रा किराया —

आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों को टिकट प्रस्तुत किये जाने पर राज्य शासन के नियमानुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा उपरांत संबंधित विभागों द्वारा की जावेगी।

———0———

अध्याय – 4

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण निर्देश :–

4.1 इस परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें तीनों विभाग (म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, लोक निर्माण विभाग व आदिवासी विकास विभाग) तथा पदों (उपयंत्री सिविल, उपयंत्री इलेक्ट्रिकल एवं उपयंत्री मैकेनिकल) के विकल्प रहेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी अर्हता/योग्यता अनुसार किसी एक पद का चयन करना होगा तत्पश्चात् जिन विभागों में चयनित पद रिक्त है, उन विभागों की प्राथमिकता का क्रम स्पष्ट रूप से दिया जाना होगा। आवेदक द्वारा दिए गए पद का विकल्प एवं विभाग की प्राथमिकता के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी। पद विकल्प व विभाग का विवरण निम्नानुसार है :–

पद नाम	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम, जिनमें पद रिक्त है
उपयंत्री (सिविल)	• म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल • लोक निर्माण विभाग • आदिवासी विकास विभाग
उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल)	• म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल • लोक निर्माण विभाग
उपयंत्री (मैकेनिकल)	• लोक निर्माण विभाग

4.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।

4.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।

4.4 स्क्रुटनी/ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :–

क्रं.	विवरण
1.	अभ्यर्थी का फोटो
2.	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
3.	श्रेणी
4.	संवर्ग
5.	लिंग
6.	मूल निवासी
7.	जन्मतिथि
8.	पद जिसके लिए आवेदन किया गया है
9.	विभाग, जिसके लिए आवेदन किया गया है

जिस अभ्यर्थी के आवेदन के साथ अभ्यर्थी का फोटो प्राप्त नहीं होता है, उसका आवेदन–पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उसे मान्य नहीं किया जायेगा। शेष उपरोक्त स.

क्रं. 02 से 09 तक की जानकारी के रिक्त होने की स्थिति में आवेदन–पत्र में संशोधन हेतु ऑनलाईन रेक्ट्रिफिकेशन (त्रुटि सुधार) की सुविधा प्राप्त होगी।

4.5 निरस्त/त्रुटि सुधार की सूचना :–

मंडल कार्यालय द्वारा निरस्त/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर कर दी जायेगी। मंडल द्वारा पृथक से इसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी। उक्त त्रुटि सुधार हेतु परीक्षा पूर्व तक एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित त्रुटि सुधार शुल्क रूपये 100/– एवं एम.पी. ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 50/– वेबसाईट www.vyapam.nic.in या www.mponline.gov.in पर जमा कर ऑनलाईन टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, जो परीक्षा केन्द्र पर मान्य होगा।

4.6 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल द्वारा नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :– अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.7 परीक्षा शहर व परीक्षा समय :–

लिखित परीक्षा केवल भोपाल शहर के मंडल द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 10:00 से दोप. 01:15 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश–पत्र पर अंकित होगी।

4.8 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

केवल प्रवेश–पत्र एवं काला बॉलप्वाइंट पेन।

4.9 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

4.10 परीक्षा के प्रश्न–पत्र :–

उपयंत्री (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के पदों हेतु परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों व तीन घंटे की अवधि का पृथक–पृथक एक प्रश्न–पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

4.11 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

<u>यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।</u>

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

4.12 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

4.13 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :–

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200-2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

4.14 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप –1 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

बिन्दु क्रमांक 4.13 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी । आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

4.15 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

अध्याय–1 से 4 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (Subject wise Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

4.16 अंक सूची :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

4.17 डुप्लीकेट अंकसूची :

इस परीक्षा में मण्डल द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त नियम क्रं. 4.16 में दर्शाये अनुसार अभ्यर्थी अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं।

4.18 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :–

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

4.19 न्यायिक क्षेत्राधिकार :–

किसी भी परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रारूप–1
(देखें नियम 4.14)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं उप यंत्री (सिविल), उप यंत्री (इलेक्ट्रिकल) एवं उपयंत्री (मैकेनिकल) के सीधी भर्ती–बैकलॉग पदों हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2011 की परीक्षा में अनुक्रमांक .... से परीक्षा केन्द्र.. से सम्मिलित हुआ/हुई हूँ । मेरे द्वारा प्रश्न–पुस्तिका कोड .... के सेट क्रमांक.................. हल किया गया है । इस प्रश्न–पत्र के निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं:–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.................................
आवेदक का नाम.....................................
परीक्षा का नाम..
अनुक्रमांक..
परीक्षा केन्द्र का नाम...............................

स्थान ....
दिनांक ....

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा)